रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, शुक्रवार मार्च 15, 2019/फाल्गुन 24, 1940
No. 102] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2019/PHALGUNA 24, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सं. भा.आ.प.-211(2)/2018-(नैतिकता)/184422.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावली, 2002" में संशोधन करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत :-

1. (i) इन विनियमों को "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाए।

(ii) वे, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावली, 2002" में निम्नलिखित परिवर्धन दर्शाए जाएंगे :-

"7.23 **आयुर्विज्ञान संकाय द्वारा झूठा/गलत घोषणा फार्म जमा करना-** परिषद् द्वारा मूल्यांकन के समय आयुर्विज्ञान संकाय द्वारा जमा किए गए घोषणा फार्म में झूठी/गलत जानकारी देने पर आयुर्विज्ञान संकाय तथा डीन/विभागाध्यक्ष जिसने घोषणा फार्म पर प्रतिहस्ताक्षर किए हैं, दोनों के कृत्य को कदाचार माना जाएगा।"

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

[विज्ञापन-III/4/असा-/576/18]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामत: ''भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनयमावली, 2002'' भारत के राजपत्र में भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 6 अप्रैल, 2002 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के दिनांक 22/02/2003, 26/05/2004, 10/12/2009, 28/01/2016 और 21/09/2016 के अंतर्गत संशोधित किया गया।

BOARD OF GOVERNORS IN SUPER SESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INIDA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

No. MCI-211(2)/2018(Ethics)/184422.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the "Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002:-

1. (i) These Regulations may be called the "Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) (Amendment) Regulations, 2019"

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002", the following addition shall be made:-

   "7.23 Submission of false/wrong declaration form by Medical faculty-Submission of false/wrong information by a Medical Faculty in the Declaration Form submitted at the time of assessment by Council; shall be treated as misconduct both by the medical faculty and the Dean/Head of Department counter signing the declaration Form."

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy.- General Medical Council of India
[ADVT.III/4/ Exty./576/18]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 6th April, 2002, and amended vide MCI notification dated 22/02/2003, 26/05/2004, 10/12/2009, 28/01/2016 & 21/09/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.18 12:28:37 +05'30'